



प्रेस विज्ञप्ति

01.08.2024

माननीय विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए), एसएस नगर ने दिनांक 30.07.2024 के फैसले के तहत सभी उपलब्ध 17 आरोपी व्यक्तियों (कुल 23 आरोपी व्यक्तियों, जिनमें से सुनवाई के दौरान 04 आरोपी व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और 02 को घोषित अपराधी घोषित किया गया था) के खिलाफ सजा आदेश पारित किया है। पीएमएलए जांच के समापन के बाद मामले में कुल 7 अभियोजन शिकायतें (01 मुख्य अभियोजन शिकायत और 06 पूरक अभियोजन शिकायतें) दर्ज की गईं।

ईडी ने जगदीश सिंह उर्फ भोला और अन्य के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम, 1985, भा.द.स., 1860 और आयुध अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के तहत पंजाब के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज कई एफआईआर के आधार पर वर्ष 2013 में जांच शुरू की।

आरोपी व्यक्ति जगदीश सिंह उर्फ भोला, जो ड्रग कार्टेल का मुख्य सरगना था और पंजाब पुलिस में पूर्व पहलवान/डीएसपी था, को अन्य आरोपी व्यक्तियों अवतार सिंह उर्फ तारी, सुखराज सिंह उर्फ राजा, मनप्रीत सिंह उर्फ मनी गिल, सुखजीत सिंह उर्फ सुक्खा, मनिंदर सिंह उर्फ बिट्टू औलख, देविंदर सिंह उर्फ हैप्पी के साथ 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही आरोपी गुरप्रीत कौर पत्नी जगदीश सिंह उर्फ भोला, दलीप सिंह मान ससुर जगदीश सिंह उर्फ भोला, अमरजीत कौर, गुरुमीत कौर, जगमिंदर कौर, सुंदीप कौर को 03 साल कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही, हवाला गतिविधियों में ड्रग तस्करों की सहायता

करने वाले आरोपी गुरदीप सिंह मनचंदा, सुनील बजाज, अंकुर बजाज और सुभाष बजाज को 05 साल की कैद की सजा सुनाई गई है।

इसके अलावा, माननीय न्यायालय ने उपरोक्त आरोपी व्यक्तियों से संबंधित 12.37 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया है, जिसे ईडी ने वर्ष 2014, 2015 और 2018 में कुर्क किया था। मामले में, ईडी ने अनंतिम रूप से 95 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।